A2
5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – रणजीतसिंह गोदारा

विविध प्रार्थनापत्र संख्या /2013
(पुराना संख्या 146/2008)
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती चन्द्रकान्ता आत्मजा श्री तेजाराम धर्मपत्नी श्री तेजकरण, जाट, 24 जी.जी. चूनावढ हाल 88 राजस्थान राज्य कर्मचारी कालौनी, वार्ड नम्बर 34, श्रीगंगानगर.
.....आवेदक

बनाम

1. श्रीमती सरोज आत्मजा श्री तेजाराम धर्मपत्नी श्री बृजलाल गोदारा, जाट, मोरजण्ड खारी, तहसील सादूलशहर,
2. श्रीमती उर्मिला आत्मजा श्री तेजाराम धर्मपत्नी श्री सुभाष गोदारा, मोरजण्डखारी,
3. श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी श्री श्यामसुन्दर लेधा, मोटासरखूनी तहसील पदमपुर,
4. श्रीमती विद्यादेवी विधवा स्व. श्री तेजाराम, जाट, चूनावढ
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर/उप पंजीयक, श्रीगंगानगर
6. श्रीमती चन्द्रावती धर्मपत्नी श्री पृथ्वीराज, जाट, बी–7 मदन विहार, श्रीगंगानगर,
7. श्रीमती पूनम धर्मपत्नी श्री प्रमोदकुमार, जाट, 1187 धींगड़ा स्ट्रीट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर.

.....अनावेदकगण

उपस्थित– श्री गुरप्रीतसिंह (आवेदक)
श्री खेतपालसिहाग (अनावेदकगण)

दिनांक 15 मई, 2013

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 24 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/54 मुरब्बा नम्बर 15, 29, 30, 31 की कुल 14.952 हैक्टर एवं खाता संख्या 56/53 मुरब्बा नम्बर 32 के 0.721 हैक्टर कृषि भूमि पक्षकारान के संयुक्त खाता दर्ज राजस्व अभिलेख हैं. संयुक्त खाता की भूमि में न तो भू–सुधार करवाया जा सकता है व न ही अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है और परिवार के सदस्यों में मामलात एवं खाला, नाका एवं आड़ इत्यादि को लेकर निरन्तर विवाद बना रहता है. अतिरिक्त, अनावेदकगण के मन में लालच आने के कारण अच्छी कृषि भूमि को अन्तरित करने में प्रयासरत हैं. अनावेदिका श्रीमती विद्यादेवी हिस्सा ठेका ले रही है तथा अतिरिक्त कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है. पूर्व में आवेदिका को ठेका हिस्सा दिया जाता था पिछले दो वर्षो से हिस्सा ठेका राशि भी नहीं दी जा रही है. इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि किसी अन्य को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निवेदन किया गया.

श्रीमती चन्द्रावती धर्मपत्नी श्री पृथ्वीराज द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिनांक 4 अक्तूबर, 2000 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत की गयी कि प्रश्नगत कृषि भूमि का कुछ भाग उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर मौका पर काबिज होकर काश्त कर रही है किन्तु आवेदिका द्वारा उसे आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि न्यायहित में उसे प्रतिपक्षकार के रूप में स्थापित कर उसे सुनवाई का

A2
6

यथोचित अवसर दिया जावे. प्रार्थनापत्र के तथ्यों के समर्थन में दस्तावेज सहमति पत्र दिनांक 08 मई, 2006 एवं विक्रय विलेख दिनांक 08 मई, 2006 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतिरिक्त, श्रीमती पूनम धर्मपत्नी श्री प्रमोदकुमार द्वारा भी प्रार्थनापत्र दिनांक 01 फरवरी, 2011 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार संहिता प्रक्रिया प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा भी प्रश्नगत कृषि भूमि का भाग क्रय कर उस पर काबिज होकर काश्त की जा रही है. किन्तु आवेदिका द्वारा उसे आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि न्यायहित में उसे प्रतिपक्षकार के रूप में स्थापित कर उसे सुनवाई का यथोचित अवसर दिया जावे. प्रार्थनापत्र के तथ्यों के समर्थन में विक्रय विलेख दिनांक 08 मई, 2006 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी. दोनों आवेदिकाओं को आवेदनपत्र में प्रतिपक्षकार स्थापित करने पर संशोधित शीर्षक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया.

उक्त दोनों प्रतिपक्षकारान द्वारा दिनांक 20 अप्रेल, 2011 को जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा श्रीमती प्रमिला आत्मजा श्री तेजाराम धर्मत्नी श्री रणवीरसिंह, श्रीमती बसन्ती आत्मजा श्री तेजाराम धर्मपत्नी श्री रामकुमार से उनके नाम चक 24 जी जी तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2059–2062 में खाता संख्या 53/60 के मुरब्बा नम्बर 32 में कुल 0.721 हैक्टर में से 0.206 हैक्टर व खाता संख्या 54/18 के मुरब्बा नम्बर 15 में 0.126 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 29 में 2.277 हैक्टर नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 30 में 6.635 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 31 में 6.224 हैक्टर कुल 14.952 हैक्टर कृषि भूमि मय 3.204 हैक्टर खाता कुल दोनों खातों में 3.410 हिस्सा में से 3.378 हैक्टर कृषि भूमि अर्थात 13.07 बीघा मय खाल, दरख्तान, पानी बारी मय तमाम हकूक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय किये गये हैं जिन पर वे काबिज होकर नियमित रूप से काश्त की जा रही है जिस पर किसी भी दृष्टिकोण से आवेदिका अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है इसलिये आवेदनपत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया. अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति पर विवेचना की गयी.

आदेश दिया जाता है कि चक 24 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/54 मुरब्बा नम्बर 15, 29, 30, 31 की कुल 14.952 हैक्टर एवं खाता संख्या 56/53 मुरब्बा नम्बर 32 के 0.721 हैक्टर कृषि भूमि में से अनावेदक संख्या 6 व 7 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रयशुदा कृषि भूमि के अतिरिक्त शेष कृषि भूमि की, मूल वाद के निस्तारण तक, मौका एवं अभिलेखों की स्थिति यथावत कायम रखी जावे.

आदेश पक्षकारान के अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 15 मई, 2013 को सुनाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर (राज.)